अपील सूचना अधिकार संख्या 78/2017 अनवानी श्री दयाराम शर्मा निवासी म0न0 01, पंचवटी सैकेण्ड, चक 7 ई छोटी, श्रीगंगानगर बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15–11–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री दयाराम शर्मा उपस्थित नही है। जिला रसदउ अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री दयाराम शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 30.08.2017 के द्वारा जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री मोतीराम (पूर्व पार्षद) 2–बी भरतनगर डिपो होल्डर को सन् 2003 से 2017 तक प्रति वर्ष कितनी रसद सामग्री का आंवटन किया, डिपो होल्डर द्वारा कितना वितरण किया गया एवं डिपो होल्डर द्वारा कितनी सामग्री रसद विभाग को समर्पित की गई का हिसाब किताब मय सत्यापित प्रति दी जावे।
2. डिपो होल्डर को मंजूर शुद्धा राशन कार्डो की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि दी जावे।

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जबाब दिनांक 29.09.2017 से ईन्कार करते हुए जानबूझ कर व असद्भाविक नीयत से सूचनांए उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का उन्हे आदेश प्रदान किया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत उन्हें दण्डित किया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 9262 दिनांक 13.11.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र सं0 7565 दिनांक 29.09.2017 के द्वारा निम्नानुसार सूचित किया गया है:–

बिन्दु 1 के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकडो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प022 (16)प्रसू./सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में "क्यो" प्रश्न के उत्तर सम्मिलत नही है। रिट पैटीशन सं. 419/2007 डा0 सेलस पिण्टो बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पिनक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चाही गई सूचना प्रश्नोत्तर के रूप में नही होनी चाहिए चूंकि खोजकर खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकारी के तहत नही आता। सूचनायें एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनों को अनुपातिक रूप से विचलित करता है। अतः आरटीआई में धारा 7(9) में ऐसी सूचना उपलब्ध कराया जाना वर्जित है।

बिन्दु संख्या 2 में आप द्वारा मंजूर शुदा राशनकार्डो की सूचना चाही गई है। वर्तमान में डिजीटल राशन कार्ड है तथा इस वार्ड में 2 डिपो होल्डर है। 2 डिपो होल्डर होने के कारण कोई भी उपभोक्ता उस वार्ड में अपने नजदीकी डीलर से राशन प्राप्त कर सकता है। डीलर विनोद कुमार को कमवार कितने राशनकार्डो पर राशन सामग्री देनी है, अलग से निर्धारित नही है। अतः उसके पास कुल कितने राशनकार्ड है, इसकी सूचना दी जानी सम्भव नही है।

इस सम्बन्ध में आपको कोई उज्र हो तो आप 30 दिवस की अवधि में प्रथम अपील अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को अपील कर सकते है।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। सूचना एकत्रित कर उपलब्ध करवाना ऐसा कार्य है जो कार्यालय के संसाधनो को अनुपातिक रूप से विचलित करता है जो सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(9) के तहत सूचना उपलब्ध करवाया जाना वर्जित है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 29.09.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

2043-44
20/11/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं अपीलार्थी को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर